पुलिस कमीश्नरेट पंचकूला | जिला पंचकूला

पंचकूला पुलिस विभाग में 24 विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के पदों के चयन हेतु आवेदन बारे सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग, पंचकूला में एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर दिनांक 10.07.2024 को भूतपूर्व सैनिकों व केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बलों में से 24 विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में चयन किया जायेगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन फार्म योग्यता, अनुभव, पूर्व सेवा संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र तथा प्रमाणित की छाया प्रतियां तथा 4 पासपोर्ट आकार के फोटो सहित दिनांक 10.07.2024 को पुलिस लाइन, पंचकूला, मोगिनद में सुबह 08:00 बजे पहुंचें।

चयन हेतु निम्नलिखित सेवा शर्त लागू होगी

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है उनकी आयु 25 से कम व 50 साल से अधिक ना हो और उन्हें अनुशासनहीनता या मेडिकल के आधार पर न हटाया गया हो।
2. पात्र चयनित उम्मीदवार केवल एक वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- रुपये के मासिक मानदेय पर रखे जाएंगे। यह मासिक मानदेय उन्हें नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
3. चयनित सहायक बल के सदस्यों को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन यह ध्यान रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके नजदीकी पुलिस थानों जो कि उनके निवास के निकट हों, में की जाये। यद्यपि जो इच्छुक होंगे, उन्हें अन्य जिला में भी तैनात किया जा सकता है।
4. चयनित सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के साथ दो जोड़ा वर्दी, एक जोड़ा जूते और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए 3000/- रुपये केवल एक बार दिये जायेंगे।
5. चयनित बल के सदस्य जब सरकारी दौरे पर होंगे तो उनके लिए उन्हें 150 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (टी.ए./डी.ए.) दिया जायेगा।
6. उन्हें आकस्मिक अवकाश, जो हरियाणा पुलिस के सिपाही के लिए लागू है, प्रदान किया जाएगा। वह निम्नलिखित अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होंगे।

(क) ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर-10 लाख रुपये।

(ख) स्थाई विकलांगता पर-1 लाख से 3 लाख रुपये।

(ग) गंभीर चोट पर-1 लाख रुपये तक।

7. इन विशेष पुलिस अधिकारियों का भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल का आयोजन नहीं होगा।
8. चयन साक्षात्कार पुलिस आयुक्त, पंचकूला द्वारा नामित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्त किए गए उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार वचनबद्धता व्यक्ति रूप में हस्ताक्षरित की जाएगी।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
10. चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।
11. चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को एक 15 दिन के कैप्सूल कोर्स, जो कि पुलिस विभाग की महत्वता बताएगा, में भेजा जाएगा। इन्हें गार्द ड्युटी, पेट्रोलिंग यातायात, कानून तथा व्यवस्था और पुलिस से संबंधित ड्यूटियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
12. नियुक्ति के बाद महीने में यदि कोई रिक्ति बनती है तो पुलिस उपायुक्त द्वारा समकक्ष प्रक्रिया अपनाते हुए 15 दिन के अन्दर भरा जा सकता है।
13. उक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाएं पुलिस उपायुक्त द्वारा एक साल अथवा उससे पहले कभी भी बिना कोई कारण बताए इस आधार पर निरस्त की जा सकती है, यदि इनका चाल-चलन तथा व्यवहार असंतोषजनक पाया जाता है अथवा इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो। इस बर्खास्त आदेशों के विरुद्ध किसी भी उच्च अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी अपील नहीं होगी।
14. इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवाएं, सेवाओं के नियमितिकरण हेतु या तदोपरांत किसी भी लाभ के लिए किसी प्रकार के दावे के बगैर अवधि की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

पुलिस उपायुक्त,
पंचकूला।